अपील सूचना अधिकार संख्या 95/2019 (RCMS 2019/00248) जसवीर सिंह पुत्र श्री अमरजीत सिंह निवासी वार्ड न .7, वीपीओ साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर <u>बनाम</u> लोक सूचना अधिकारी, सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत साधुवाली, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>12.02.2020</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी जसवीर सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने दिनांक 12.09.2019 को जिला कलक्टर महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कुल सात बिन्दुओं की चाही गई थी, था जो उन्होनें अपने पत्रांक आरटीआई/39/2019/792 दिनांक 13.09.2019 द्वारा श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर को चाही गई सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। जिस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर द्वारा अपने पत्र क्रमांक ईजीएस/सूचना का अधिकार/आईसीसी/2019–20/165–66 दिनांक 19.09.2019 के द्वारा कार्यक्रम अधिकारी/विकास अधिकारी, ईजीएस, पंचायत समिति, श्रीगंगानगर को प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। इसके पश्चात विकास अधिकारी, पंचायत समिति, श्रीगंगानगर द्वारा अपने पत्र क्रमांक सू.अ./2019–20/2038–39 दिनांक 25.09.2019 के द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत 11 साधुवाली को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया जो उनके उनके द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है जिस कारण दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध सूचना उपलब्ध न करवाने के कारण अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्यवाही की जावे एवं उसे वांछित सूचनाएं भी उपलब्ध करवाई जावे।

मैनें उक्त तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी जसवीर सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 13.09.2019 से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति संलग्न नहीं की है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, ग्राम पंचायत, साधुवाली पंचायत समिति श्रीगंगानगर को इस न्यायालय द्वारा पत्र क्रमांक 1411 दिनांक 21.11.2019 एवं 13 दिनांक 07.01.2020 के द्वारा सुनवाई हेतु तलब किया गया था किन्तु सचिव, ग्राम पंचायत साधुवाली इस न्यायालय किसी भी पेशी पर उपस्थित नहीं हुआ और न ही जवाब पेश किया है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का सम्बन्ध ग्राम पंचायत साधुवाली से है और लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत ग्राम पंचायत की सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं है बल्कि इस हेतु प्रथम अपील अधिकारी के रूप में संबंधित सरपंच, ग्राम पंचायत अधिकृत है। **इसलिए निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को प्रथम अपील की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नही है। चूंकि इस न्यायालय को उक्त अपील के प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील खारिज जाती है। अपीलार्थी यदि ग्राम पंचायत द्वारा दी गई सूचनाओं से असतुंष्ट है तो वह सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सरपंच, जो कि प्रथम अपीलीय अधिकारी है, के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है।**

आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर, विकास अधिकारी, श्रीगंगनगर एवं सचिव, ग्राम पंचायत, साधुवाली तहसील श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 12.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर